

फर्द अहकाम


बनाम अनाराम

रामेन्द्र

नाम न्यायालय :- उपखण्ड अधिकारी फासी

केस संख्या:- 57/2019 दाया

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	31/01/25	<p>फासली पेश हुई। फासली के बर्तन उपस्थित आज्ञा अधिपत्या पर फासी ने न्यायिक के कार्य स्थान पर किया है। फासली नर अपेक्षातुल्य। दिनांक 24/01/25 को पेश हो गई</p>
	24/01/25	<p>फासली पेश हुई है फासली साहब का एक जवाब में व्यक्त है। जतः फासली फासली दिनांक 24/01/25 को पेश है।</p>
	30/01/25	<p>फासली पेश हुई। फासली वादी अनुपस्थित वादी व वादी के अधिपत्या को आवाज दिलाई गई। फिर भी कोई उपस्थित नहीं हुए। बार-बार आवाज दिलाने पर भी कोई उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट का समय पूर्ण हो चुका है। इसलिए वादी को वाड अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। फासली फासली शुमार लेकर दर्ज में से कम ही बाखिल बफ्तर रहे।</p>


 उपखण्ड अधिकारी
 फासी